.2020

अभिलेख उपस्थापित। उपरोक्त वाद की कार्रवाई संबंधित हल्का राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से अवैध जमाबंदी संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन जो ग्राम रायबार थाना नं0 412 के खाता 18, प्लौट 119 एवं 120 रकबा 7.00 एकड़ जो खतियान के अनुसार गैरमजरूआ, किस्म जमीन जंगल झाड़ी दर्ज है के आधार पर प्रारंभ किया गया। जिसमें संबंधित जमाबंदीदार श्रीमति सुनरी देवी पति रामनारायण यादव ग्राम रायबार को नोटिस निर्गत कर उपरोक्त भूमि का जमाबंदी कायम होने से संबंधित सभी राजस्व दस्तावेज के साथ न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। जिसके आलोक जमाबंदीदार न्यायालय में उपस्थित होकर अपने जमाबंदी के समर्थन में बंदोबस्ती पर्चा सं0 745/2000–21 एवं मालगुजारी रसीद वर्ष 2014–15 एवं 2019–20 तक का छायाप्रति प्रस्तुत किये। परंतु कोई भी मूल दस्तावेज उनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नही किया गया न ही बंदोबस्ती से संबंधित नजरी नक्शा ही प्रस्तुत किया गया। इस पर न्यायालय द्वारा उन्हें पुनः एक मौका देते हुए अगली निर्धारित तिथि दिनांक 19.12.2020 को बंदोबस्ती से संबंधित सभी मूल दस्तावेज यथा बंदोबस्ती पर्चा, नजरी नक्शा, वर्ष 2000–01 से लेकर 2014–15 तक का मूल लगान रसीद एवं बंदोबस्ती अभिलेख वाद संख्या 745/2000–01 का सच्ची प्रतिलिपि के साथ न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। परंतु निर्धारित तिथि को न तो स्वयं जमाबंदीदार ही उपस्थित हुए न ही उनके द्वारा कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित हुए। जिसे यह स्पष्ट होता है कि जमाबंदीदार को अपने पक्ष में अब कुछ नही कहना है। न्यायालय द्वारा राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्राप्त प्रतिवेदन एवं जमाबंदीदार द्वारा समर्पित कागजात का गहन अवलोकन किया गया। जिसके क्रम में निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती है :–

1. प्रतिवेदित भूमि मौजा रायबार, थाना सं0 412 के खाता सं0 18, प्लौट 119 एवं 120 रकबा 7.00 एकड़ भूमि पर जमाबंदीदार बंदोबस्ती के आधार पर विगत कुछ वर्षो से दखलकार रहें हैं। जबकि जमाबंदीदार के पास बंदोबस्ती से संबंधित कोई भी मूल दस्तावेज नही हैं और ना ही उनके द्वारा न्यायालय को भी मूल दस्तावेज उपलब्ध कराया गया।
2. जमाबंदीदार के द्वारा बंदोबस्ती परवाना के छायाप्रति के अलावा नजरी नक्शा भी उपलब्ध नही कराया गया।
3. प्रस्तुत बंदोबस्ती परवाना में चौहदी के चारों ओर सिर्फ नदी दिखाया गया है। जबकि स्थलीय संरचना में काफी भिन्नता है। जो स्पष्ट करता है कि प्रस्तुत परवाना जाली एवं संदिग्ध है एवं सरकारी राजस्व कर्मियों के मिली भगत से पंजी – II में छेड़–छाड़ कर दाखिल कराकर गलत मंशा से रसीद निर्गत किया गया है।
4. जमाबंदीदार के द्वारा बंदोबस्ती के पश्चात वर्ष 2001 से लेकर 2015 तक का निर्गत कोई भी लगान रसीद प्रस्तुत नही किया गया है। जबकि राजस्व उप निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में यह स्पष्ट जिक्र किया है कि बन्दोबस्ती केस सं0 745/2001–02 से लाकर डिमाण्ड खोला गया है जो बिल्कुल संदिग्ध एवं तथ्यहीन है। क्योंकि पुराने किस भौलुम के पेज है यह भी स्पष्ट नही है। लगान रसीद के रूप में रसीद सं0 062890 दिनांक 10.03.2015 वर्ष 2014–15 का अंकित किया गया है। लगान वसूल का विवरणी पंजी – II में नही भरा गया है। पंजी – II के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि किसी के द्वारा अपने हथलिखित में मांग पंजी – II में विवरणी दर्ज किया गया है जिस पर किसी का हस्ताक्षर भी नही है एवं ऑनलाईन पंजी – II के पृष्ठ सं0 184 भौलुम 1 पर प्रश्नगत भूमि का मांग दर्ज किया गया है।

Scanned with CamScanner

5. श्रीमति सुनरी देवी पति रामनारायण यादव में राजस्व कर्मी के द्वारा पेज WP/79 का पेज नं0 लिख कर लगान रसीद निर्गत किया गया है जबकि उनके द्वारा उपलब्ध किसी पंजी के पृष्ठ संख्या 79 मे श्रीमति सुनरी देवी पति रामनारायण यादव का मांग नही चलता है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि संबंधित राजस्व कर्मी एवं जमाबंदीदार के मिली भगत से प्रश्नगत भूमि मौजा रायबार थाना सं0 412 के खाता सं0 18, प्लौट सं0 119 एवं 120 रकबा 7.00 एकड का मांग फर्जी कागजात तैयार कर मांग पंजी – II में अवैध तरीके से मांग कायम कर वर्ष 2014–15 में लगान रसीद निर्गत किया गया है जो बिलकुल संदिग्ध एवं फर्जी है।

अतः मुख्य सचिव झारखण्ड राँची के ज्ञापांक 2074 दिनांक 13.05.2016 एवं उपायुक्त पलामू के पत्रांक 785 दिनांक 17.05.2016 के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में ऑनलाईन पंजी – II के पृष्ठ सं0 184 भौलुम 1 पर श्रीमति सुनरी देवी पति रामनारायण यादव ग्राम रायबार थाना नौडीहा बाजार के नाम से मौजा रायबार थाना सं0 412 के खाता सं0 18 प्लौट 119 एवं 120 रकबा 7.00 एकड का चल रहे मांग को अवैध मानते हुए उसे रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। साथ ही संबंधित राजस्व कर्मी पर अनुशासनीय कार्रवाई करने की भी अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, छत्तरपुर को भेजें।

लेखापित।

19/12/2016

अंचल अधिकारी
नौडीहा बाजार, पंलामू।

19/12/2016

अंचल अधिकारी,
नौडीहा बाजार, पलामू।

Scanned with CamScanner